ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-11* December- 2020
Innovation The Research Concept

स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तीकरण

Self Help Groups and Women Empowerment

Paper Submission: 15/12/2020, Date of Acceptance: 26/12/2020, Date of Publication: 27/12/2020

स्वीकृति शुक्ला
शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
एम.डी.एस.विश्वविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान, भारत

प्रताप पिंजानी
निर्देशक,
राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद,
नई दिल्ली, भारत

सारांश

स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपनी छोटी–छोटी जरूरतों को पूरा करने और स्वयं की समस्याओं को सुलझाने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करती है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत डालना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा समूहों को बैंक ऋण से जोड़कर स्वरोजगार के माध्यम से सशक्तिकरण के साथ–साथ उनकी आय में निरन्तर वृद्धि करना है। जिसमें महिलाएँ अपनी छोटी–मोटी जरूरतों को पूरा करने और स्वयं की समस्याओं को सुलझानें के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करती है। कार्यक्रम का उद्धेश्य महिलाओं में बचत की आदत डालना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा उनमें विद्यमान कौशल की क्षमताओं का विकास करना है। संक्षेप में स्वयं सहायता समूह का उद्धेश्य महिलाओं को बचत तथा ऋण के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराकर सशक्तिकरण के साथ–साथ उनकी आय में निरन्तर वृद्धि करना है।

A group of 10 to 15 women is formed under the self-help group program, in which the women collectively strive to meet their small needs and solve their own problems. Self-help group program, run by the Department of Women and Child Development, aims to instill savings habit in women, develop leadership, develop decision-making capacity and empower groups through self-employment by linking them to bank loans as well as their income. Have to continuously increase in In which women collectively try to meet their petty needs and solve their own problems. The objective of the program is to inculcate the habit of saving in women, to develop leadership capacity, to develop decision-making capacity and to develop the skills of the skills existing in them. In a nutshell, the objective of the Self Help Group is to empower women by providing self-employment through savings and loans, as well as to continuously increase their income.

मुख्य शब्द : स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, रोजगार, उपभोग पैटर्न।
Self-Help Groups, Self-Help Groups, Employment, Consumption Patterns.

प्रस्तावना

स्वयं सहायता समूह (SHG) ग्रामीण और शहरी विकास दोनों के व्यापक, सफल बन गए हैं । महिलाएं समूहों में एक साथ बंधती हैं और प्रत्येक को प्रेरित करती हैं अन्य आय सृजन के लिए नए अवसरों का निर्माण करने के लिए। अधिकांश एसएचजी सदस्यों द्वारा नियमित रूप से दान की बचत करके किसी भी बाहरी वित्तीय पूंजी के बिना शुरू करते हैं। बहुत छोटा (जैसे प्रति सप्ताह 10 रु।)। नियमित की अवधि के बाद बचत (6 महीने से एक वर्ष तक) एसएचजी ऋण देना शुरू करते हैं सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों और खर्च के लिए छोटे इन–हाउस ऋण के रूप में बचत से। केवल उन्हीं एस.एच.जी. अपने स्वयं के निधियों का अच्छी तरह से उपयोग करने पर बाह्य निधियों की सहायता की जाती है बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के साथ संबंधों के माध्यम से भारत में स्वयं सहायता समूह का विकास भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) ने व्यापक तरीके से काम किया है, 1992 में इसकी उत्पत्ति के बाद से। भारत में SHG का प्रसार हुआ है इसने 225 समूहों से रोमांचक प्रगति की है 1992 में कुछ 16, 18,456 समूहों से जिन्होंने ऋण लिया है बैंकों। एसएचजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रम

के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली और इनमें से 90% समूह केवल महिला समूह हैं। स्व–सहायता समूह बचत और ऋण सेवाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करता है, भारत में पूरी तरह से बंद कर दिया है, जहां 25 की उम्मीद है मिलियन महिला सदस्य SHG एक छोटे आर्थिक रूप में होते हैं ग्रामीण गरीबों का आत्मीयता समूह, स्वेच्छा से एक आम को बचाने और योगदान देने के लिए बनाया गया है समूह के निर्णय के अनुसार और सामाजिक के लिए मिलकर काम करने के लिए अपने सदस्यों को उधार दिया जाना और उनके परिवार और समुदाय का आर्थिक उत्थान। स्वयं की विशिष्ट विशेषताएं सहायता समूह नीचे दिए गए हैं।i) एक SHG में सामान्य रूप से पांच से कम व्यक्ति नहीं होते हैं (अधिकतम के साथ) बीस) जिसे समान आर्थिक दृ ष्टिकोण होना चाहिए और वही सामाजिक स्थिति होनी चाहिए। यह आर्थिक सुधार और जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देता है के लिए संसाधन जुटाने विकास और शोषण से मुक्ति। समूह के समुचित कार्य के लिए इसके अपने–अपने उपनियम हैं समूह के सदस्यों और नियमों से संबंधित कुछ नियमों का पालन ऐसे समूह का रूप अधिकतर अनौपचारिक आधार (अपंजीकृत) पर हो सकता है। सदस्यों की आवधिक बैठकें उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आयोजित की जाती हैं (आर्थिक और सामाजिक) और वे सदस्यों की निश्चित बचत एकत्र करते हैं। सदस्यों की बचत को समूह के नाम पर एक बैंक के साथ रखा जाता है और अधिकृत किया जाता है समूह का प्रतिनिधि बैंक खाता संचालित करता है। बैंक में जमा रखा दर पर खपत सहित उद्देश्यों के लिए सदस्यों को ऋण देने के लिए उपयोग किया जाता है मूह द्वारा तय किए गए ब्याज (आमतौर पर बैंक जो चार्ज करते हैं, उससे अधिक)। निधियों का स्रोत सदस्यों की बचत, प्रवेश शुल्क, ब्याज का योगदान है ऋण से, संयुक्त व्यापार संचालन की आय और निवेश से आय। फंड का उपयोग ऋण, सामाजिक सेवाओं और सामान्य निवेश के लिए किया जा सकता है। एसएचजी, समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का समूह होने के कारण, हल करने के लिए सशक्त हो जाता है स्वयं सहायता समूहों में महिला भागीदारी को प्रभावित करने वाले तत्व

1. भौगोलिक
2. सामाजिक–आर्थिक
3. संस्थागत

महिला भागीदारी का नतीजा

1. घरेलू आमदनी में बढ़ोतरी
2. खाद्य सुरक्षा
3. गरीबी निवारण

महिला भागीदारी

1. निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी
2. नियोजन व क्रियान्विति में भागीदारी

एसएचजी के लक्षण: स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं: वे आम तौर पर अपनी छोटी बचत में योगदान करके एक सामान्य फंड बनाते हैं समूह अक्सर गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद से संचालन की एक लचीली प्रणाली विकसित करते हैं और एक लोकतांत्रिक तरीके से। अपने सामान्य पूल संसाधन का प्रबंधन करते हैं

समूह समय–समय पर बैठकों में ऋण दावों पर विचार करते हैं, जिन पर दावों के साथ प्रतिस्पर्धा होती है अधिक आवश्यकताओं के संबंध में आम सहमति से सीमित संसाधनों का निपटान। ऋण लेना मुख्य रूप से पारस्परिक आवश्यकता और है प्रलेखन और बिना किसी ठोस सुरक्षा के।विश्वास के आधार पर उधार ली गई राशि छोटी, लगातार और छोटी अवधि के लिए होती है।. ब्याज की दरें ऋण के उद्देश्य के आधार पर समूह से समूह में भिन्न होती हैं और अक्सर बैंकों की तुलना में अधिक होते हैं लेकिन साहूकारों की तुलना में कम होते हैं। समय–समय पर बैठकें, धन इकट्ठा करने के अलावा,उभरते हुए ग्रामीण, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। समूह के दबाव और अंतिम उपयोग के अंतरंग ज्ञान के कारण डिफाल्टर दुर्लभ हैं

अध्ययन के उद्धेश्य

अध्ययन हेतु निम्न उद्धेश्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. स्वयं सहायता समूह की प्रगति की समीक्षा करना,
2. बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले समूहों की प्रगति की समीक्षा करना, ;
3. स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में बैंक की भूमिका, ऋण की पर्याप्तता एवं वसूली ज्ञात करना,
4. बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि का उपयोग एवं समूहों की आय में वृद्धि का आकलन

स्वयं सहायता समूहों के लाभ

समाजिक अखंडता

एसएचजी दहेज, शराब आदि जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। लिंग समानता – SHG महिलाओं को सशक्त बनाता है और उनके बीच नेतृत्व कौशल विकसित करता है। सशक्त महिलाएं ग्राम सभा और चुनावों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इस देश के साथ–साथ अन्य जगहों पर इस बात के प्रमाण हैं कि स्वयं–सहायता समूहों के गठन से समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ–साथ उनके सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अग्रणी परिवार में भी प्रभाव पड़ता है और उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है।

दबाव समूह

शासन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी उन्हें दहेज, शराबबंदी, खुले में शौच के खतरे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे मुद्दों को उजागर करने और नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है।– प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के मानदंड और आश्वासन एसएचजी को उधार देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करते हैं। नाबार्ड द्वारा अग्रणी एसएचजी–बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने क्रेडिट को आसान बना दिया है और पारंपरिक धन उधारदाताओं और अन्य गैर–संस्थागत स्रोतों पर निर्भरता कम कर दी है। सरकारी योजनाओं की दक्षता में सुधार और सामाजिक आडिट के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम करना।

रोजगार का वैकल्पिक स्रोत

यह सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को कम करता है। सिलाई, किराने और उपकरण की मरम्मत की दुकानों जैसे व्यक्तिगत व्यवसाय उद्यम।

उपभोग पैटर्न में परिवर्तन

इसने भाग लेने वाले परिवारों को गैर–ग्राहक परिवारों की तुलना में शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने में सक्षम बनाया है।

आवास और स्वास्थ्य पर प्रभाव

SHG के माध्यम से प्राप्त वित्तीय समावेशन से बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है, मातृ स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और गरीबों में बेहतर पोषण, आवास और स्वास्थ्य के माध्यम से बीमारी का मुकाबला करने की क्षमता – विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच।

बैंकिंग साक्षरता

यह अपने सदस्यों को उन तक पहुँचने के लिए औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के लिए नाली के रूप में बचाने और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है।एसएचजी अक्सर ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएचजी के माध्यम से आर्थिक सशक्तीकरण, महिलाओं को घरेलू स्तर पर और साथ ही समुदाय–स्तर पर निर्णय लेने के मामलों में भागीदारी के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है। समुदाय के गैर–उपयोग और कम किए गए संसाधनों को विभिन्न एसएचजी–पहल के तहत प्रभावी ढंग से जुटाया जा सकता है। सफल एसएचजी के नेता और सदस्य विभिन्न सामुदायिक विकासात्मक पहल के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। विभिन्न एसएचजी–पहल में सक्रिय भागीदारी सदस्यों को नेतृत्व–कौशल विकसित करने में मदद करती है। सबूत यह भी बताते हैं कि अक्सर महिला एसएचजी नेताओं को पंचायत प्रधानों या पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के लिए संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना जाता है। जिलों का चयन यह अध्ययन राजस्थान के कुल तैंतीस जिलों में से सात जिलों में आयोजित किया गया है। सात सैंपल जिलों को समूहों के घनत्व के आधार पर चुना गया था। जिले – बारां, बीकानेर, धौलपुर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर और सिरोही – को सावधानीपूर्वक चुना गया राज्य का उचित प्रतिनिधित्व। समूहों की कुल संख्या पर निर्णय लेते समय प्रत्येक जिले से आच्छादित, उन्हें तीन समूहों में विभाजित किया गया था। विभाजन आधारित किया गया था योजनाबद्ध समूह। नमूना जिलों के चयन और समूहों की कुल संख्या के लिए उपयोग किए गए मानदंडों का सारांश योजनाबद्ध और गैर category योजनाबद्ध श्रेणी के तहत प्रत्येक जिले से कवर किया गया है, नीचे दिया गया है

समूहों का चयन

जिलों और दोनों के तहत कवर किए जाने वाले समूहों की कुल संख्या की पहचान करना योजनाबद्ध और गैर atic योजनाबद्ध श्रेणियां, अगले चरण के लिए समूहों की पहचान करना था उसी का अध्ययन और विश्लेषण करें। समूह चयन का आधार था: वे समूह जो एक वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में हैं समूह, जिन्हें बैंकों से ऋण का कम से कम एक चक्र मिला है। इस तरह के मानदंड को चुना गया था, अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और विकसित करके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में समझ, जो समूह की परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। की सूची कुल समूहों को जिला कार्यालयों से ब्लॉकवार वार संग्रहित किया गया है। एक ब्लॉक में सर्वाधिक संख्या में समूहों (विभागों और SHG समावेशी) की उपस्थिति थी विशिष्ट ब्लॉक का चयन करने के लिए मापदंड जिसमें से समूहों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है।

स्वयं सहायता समूहों का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म–गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी–छोटी बचत इकट्ठी करके, ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क, लघु उद्यम स्थापित करके, समूह की बैठकों की कार्रवाई संचालित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है:–

स्वनिर्णय की शक्ति

स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है । महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन–देन, कागजी कार्रवाई इत्यादि करने से उनमें आत्म–विश्वास पनपता है । समूह की गतिविधियों के संचालन, बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की स्वनिर्णय की क्षमताओं का विकास होता है जो धीरे–धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है ।

जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता

समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है । घर की चारदीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर–सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों इत्यादि से संपर्क में आती है जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं । सूचना एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त करती है ।

सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता

अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है । अन्य महिलाओं की अपेक्षा ये महिलाएँ अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती है ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता

स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्म–निर्भर बनती है जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं । अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं ।

मनोवैज्ञानिक विकास

स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पर सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है । उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है ।

कौशल विकास

हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं किन्तु इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है । इन समूहों को सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है ।

वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को गरीबी का मुकाबला करने में सबसे ज्यादा आशाजनक माना जा रहा है । भारत में 80 फीसदी से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं से संबद्ध हैं जिनमें भुगतान दर 95 फीसदी के आसपास है तथा गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत बहुत कम है ।

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास

इन समूहों में सामान्यतया सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा इनकी कार्रवाई में लोकतांत्रिक प्रविधियों को अपनाया जाता है जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है । इसका प्रभाव गांव में राजनीतिक संस्थाओं यथा ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि पर भी पड़ता है।

महिलाओं की अन्यों की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है ।

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के विकास में बाधक तत्व

यद्यपि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है किन्तु भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को स्वयं को समूहों के रूप में संगठित होने व किसी उद्यम के विकास में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है

जैसे–महिलाओं की गतिशीलता पर सीमाएं

भारत में पुरुष प्रधान समाज के कारण महिलाओं का जीवन प्रायः घर की चारदीवारी में ही सीमित होता है । इसलिए घर के बाहर जाकर स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित होने की स्थिति में उन पर अनेक प्रकार की सामाजिक बाधाएं होती हैं । महिलाओं द्वारा समूहों के रूप में संगठित होने पर भी उन्हें अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए बैंकर्स, गैर–सरकारी संगठनों, अपने उत्पादों के लिए मध्यस्थों इत्यादि से बातचीत करनी होती है जिसमें कई बार परिजनों द्वारा सीमाएं डाली जाती हैं । इसी प्रकार पुरुष जहां देर रात तक काम कर सकते हैं महिलाओं के लिए कार्य करने की अवधि अनेक कारणों से सीमित होती है ।

सामाजिक प्रतिबंध

भारतीय समाज में महिलाओं के रहन–सहन, काम–काज, रोजगार इत्यादि पर अनेक सामाजिक–पारम्परिक रीति–रिवाज भी बाधा के रूप में काम करते हैं । महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वयं के उद्यम के उत्पादों का प्रचार करने व उनको शहरों तक पहुंचाने के लिए पुरुषों की सहायता लेनी पड़ती है । परिणामतः समूहों में कार्य करने के बावजूद महिलाएं स्वयं में पूर्ण विश्वास नहीं कर पाती हैं तथा पुरुषों पर निर्भरता को अपने जीवन का यथार्थ मानने लगती हैं । ऐसी स्थिति में सशक्तीकरण केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का ही रूप ले पाता है और मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो पाता है

बैंकर्स का नकारात्मक रवैया

परम्परागत रूप से बैंकों में पुरुष ग्राहक ही अधिक संख्या में होते हैं तथा महिलाएं एक तरह से बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही हैं । स्वयं सहायता समूहों की सदस्य के रूप में जब महिलाएँ बैंकों से ऋण इत्यादि के लिए संपर्क करती हैं तो पूर्व अनुभव के अभाव में उनकी जिज्ञासाएं व शंकाएं अधिक होती हैं किन्तु बैंकर्स की तरफ से इस स्थिति के प्रति सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है जिससे महिला समूहों का मनोबल कम होता है ।

प्रशासनिक बाधाएँ

सरकारी संस्थाओं से संपर्क साधने में महिला समूहों को प्रशासनिक रूढ़िताओं, जटिलताओं, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पुरुषवादी मानसिकता इत्यादि के कारण अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है । जिससे सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए चलाई जा रही अनेक योजनाएं

तालिका संख्या

प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ महिला समूह नहीं उठा पाते हैं अथवा उन्हें अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ता है ।

स्वयं सहायता समूहsa/ CIGS जिला	समूह	जिले	आकार		गैर योजनाबद्ध		योजनाबद्ध कुल संख्या
			DPIP SGSY	SGSY	DWCD	NGO	
<4000	1	जालोर	0	13	10	0	100
		सिरोही	0	13	10	10	
		धौलपुर	12	12	10	10	
4000-8000	2	जोधपुर	0	13	8	8	100
		बीकानेर	0	12	8	8	
		बारा	12	13	9	9	
<8000	3	झालावाड़	25	25	25	25	100

कुल समूह			49	101	80	70	300
प्रतिशत			16.33	33.67	26.67	23.33	100

निष्कर्ष

सार रूप में, हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है । परिणामस्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है । आज भारत दुनिया भर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखता है किन्तु हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक प्रशासनिक राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियां महिला समूहों की गतिशीलता, व्यवहार्यता व साध्यता में अनेक चुनौतियां खड़ी होती हैं । इन चुनौतियों को कम करने में महिला संगठनों, समाजसेवी संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों इत्यादि द्वारा कार्य किया जा रहा है । जिसके फलस्वरूप महिला समूहों की सक्रियता व सामाजिक–आर्थिक जीवन में भागीदारी व महिला सशक्तीकरण सच्चे मायनों में हो रहा है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *बोरसेप ईस्टर (1970)– वीमेन्स रोल इन इकानोमिक्स डेव्हलपमेंट लन्दन*
2. *जार्ज एलेन एण्ड आनविन लि. / M. Cril (2010) – Micro Finance Review.*
3. *नाबार्ड भारत में सूक्ष्म वित्त स्थिति 2011–12 रिपोर्ट।*
4. *आनंद सिंह – Financial inclusion and urban Coopertive Bank.*
5. *Michel, I., (1991) African women, development and the North sout relationship : In : M Dalla costa 8 G.Dalla costa (Eds) paying the price :*
6. *Women and the politics of intermational economi stratery London: zed Books P. 123 Sen, Amarty, (1999) Development as Freedom. New York: Alfred A.knopf. P. 126.*
7. *World Bank, (2001) Engendering Development: through gender equality in rights, Resources, voices. New York: oxford university press. P. 323.*
8. *Reskin, Barbara, and Heidi Hartmann, eds. (1991) Women"s work Men's*
9. *Work: Sex Segregation on the Job. Washington, DC: National Academy Press. PP. 66.*